

0/6/10

पञ्जावली ट्रेडिंग कंपनी मद्रास में
की गई। वकील पार्थी ने पत्र प्रेषित
करा। मूल वाद खारिज करवा लिया है
केतः पार्थी पत्र 212/1911 मूल
वाद खारिज होने से डिपेंडेंस 26/7/12
को जारी रखकर केतः निवेद्याणा
खारिज किया जाता है। पञ्जावली पंचसल
मुंबई के मद्रास से कमीशन
दाखिल रूप में है।